


राजस्थान सरकार  
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएँ

क्रमांक:—एफ.2( )बजट/मा.स./आईसीडीएस/18/127271

जयपुर, दि० 10-7-18

आंशिक संशोधन

विभाग के पत्र क्रमांक 125672-704 दिनांक 06.07.2018 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 के मासिक व्ययों को निर्धारित अनुपात में व्यय करने के संबंध में जारी किये गये निर्देशों के बिन्दू संख्या 4 व 5 में अंकित परिशिष्ट-अ के स्थान पर परिशिष्ट-ब पढ़ा जावे।


  
वित्तीय सलाहकार  
समेकित बाल विकास सेवाएँ  
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक:—एफ.2( )बजट/मा.व्यय/आईसीडीएस/18/127272-609

जयपुर, दि० 10-7-18

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

- 1 समस्त उपनिदेशक महिला बाल विकास
- 2 बाल विकास परियोजना अधिकारी (समस्त)
- 3 एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, मुख्यालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु।

  
वित्तीय सलाहकार